प्रा.पत्र मुन्त./116/2022 **न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर**

1—हुकमसिंह पुत्र मक्खनलाल जाति गूजर निवासी ग्रांम बंजी तहसील व जिला भरतपुर
2—बलवीर सिंह पुत्र भगवत जाति ब्राहमण निवासी ग्रांम बंजी तहसील व जिला भरतपुर

.....प्रार्थी0

बनाम

1—राजेश पुत्र जवाहरसिंह
2—मोहनदेई पत्नी जवाहरसिंह
3—राजनदेई । पुत्रीयान जवाहरसिंह,
4—रेखा ।
} जाति जाटव निवासी बंजी तहसील व जिला भरतपुर

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर (राज.)

.....अप्रार्थी0

प्रार्थना पत्र मुन्तकिली अन्तर्गत धारा 235 राज. काश्तकारी अधिनियम विरुद्ध तहसीलदार भरतपुर इंचार्ज श्री ताराचन्द ना. तहसीलदार भरतपुर

———

उपस्थितः—
1—श्री सोनीराम शर्मा प्रार्थी,
2—श्री पुष्पेन्द्र चौधरी, अभिभाषक अप्रार्थी0,

निर्णय **दिनांक 24.01.2023**

प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थी. इस आशय का पेश किया जो संक्षेप में इस प्रकार है, प्रकरण अन्तर्गत धारा 183बी आर.टी.एक्ट तहसीलदार भरतपुर के समक्ष विचाराधीन है उनका चार्ज नायब तहसीलदार के पास है उन्हें प्रकरण को सुनने के अधिकार नहीं है। नायव तहसीलदार अप्रार्थीगण से मिले हुये हैं। प्रकरण में दिनांक 18.11.2022 से पूर्व कोई तारीख पेशी निर्धारित नहीं थी दिनांक 18.11.2022 को अचानक पत्रावली पेशी पर ली जाकर अप्रार्थीगण को बुला कर अन्तिम बहस हेतु नायव तहसीलदर द्वारा कहा गया जब कि प्रार्थीगण को कोई सूचना तारीख पेशी की नहीं थी। बहुत ही निवेदन करने पर दिनांक 23.11.2022 तारीख पेशी नियत की गई है जो कि बहुत ही नजदीक की है। नायव तहसीलदार

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०

को 183बी आर.टी.एक्ट के प्रकरण सुनने का कोई अधिकार नहीं है। नायव तहसीलदार भरतपुर से न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। प्रार्थना पत्र मुन्तकिली स्वीकार किया जाकर प्रकरण किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिली किये जाने की प्रार्थना की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थी. की तलबी की गई तथा तहसीलदार भरतपुर से टिप्पणी तलब की गई। तहसीलदार भरतपुर का पत्र दिनांक 24.11.2022 टिप्पणी शामिल पत्रावली की गई। अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जबाब शामिल मिसिल किया गया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने अपने तर्कों में जाहिर किया कि प्रार्थीगण दबंग व्यक्ति हैं, इन्होने अप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि पर जबरन अतिक्रमण कर कब्जा किया हुआ है, जिसके बाबत तहसील न्यायालय में प्रकरण 183बी आर.टी.एक्ट विचाराधीन है। प्रार्थीगण प्रकरण को निर्णय नहीं होने देना चाहते हैं और प्रकरण को लम्बा करने के लिये इस प्रकार झूठ आरोप लगाकर मुन्तकिली प्रार्थना पत्र पेश कर देते हैं। योग्य अभिभाषक का यह भी तर्क है कि पूर्व में भी प्रार्थी ने इसी प्रकार आरोप लगाते हुये एक मुन्तकिली प्रार्थना पत्र श्रीमान के न्यायालय में पेश किया गया था, जिसे श्रीमान न्यायालय द्वारा दिनांक 21.6.22 को खारिज कर दिया गया है। योग्य अभिभाषक का यह भी कहना है कि प्रकरण में कार्यवाही करने का अधिकार कार्यवाही तहसीलदार को है। झुठे एवं निराधार आरोप लगाये जाकर यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र मुन्तकिली खारिज किया जावे।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने अपने तर्कों में जाहिर किया कि कार्यवाही नायव तहसीलदार को धारा 183बी के प्रकरण को सुनवाई का अधिकार नहीं है। कार्यवाही तहसीलदार प्रकरण में अपनी मनमर्जी के हिसाब तारीख पेशीयॉ निर्धारित करते हैं। योग्य अभिभाषक का कहना है कि दिनांक 18.11.2022 को भी कोई तारीख पेशी पूर्व में नियत नहीं थी, परन्तु दिनांक 18.11.2022 को पत्रावली पेशी पर ली गई, और प्रार्थी को जरिये मोबाईल सूचना देकर बुलाया गया, तब आकर उनसे आगे तारीख पेशी दिये जाने का निवेदन करने पर बहुत मुश्किल से आगे तारीख दी गई, कार्यवाहक तहसीलदार के कृत्य से लगता है कि उनका झुकवा अप्रार्थीगण की तरफ है, और वे प्रकरण को अप्रार्थीगण के हक मे फैसल करने पर ऊतारु हैं। कार्यवाहक तहसीलदार श्री ताराचन्द सैनी से न्याय की कोई उम्मीद नहीं है, इस लिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर किसी अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने की प्रार्थना की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार भरतपुर से प्राप्त टिप्पणी पर गौर किया गया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर मनन किया गया। प्रार्थी

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0

ने अपने प्रार्थना पत्र जुबानी आरोपों के समर्थन में कोई साक्ष्य दस्तावेजी पेश नही किया जिससे इन आरोपों पुष्टी होती हो। तहसीलदार भरतपुर से प्राप्त टिप्पणी में प्रार्थी के सभी आरोपों के बारे में विवेचन करते हुये आरोपों का नकारा है, तथा तहसीलदार भरतपुर ने अपने पत्र टिप्पणी की मद नम्बर –1 में अंकित किया है कि ".....वर्तमान में तहसीलदार भरतपुर के पद पर तहसीलदार का कार्य निम्न हस्ताक्षरकर्ता द्वारा किया जा रहा है जिसके अंतर्गत उक्त प्रकरण को सुनने के लिए पूर्ण अधिकार एवं क्षेत्राधिकार है.....।" पत्रावली में उपलब्ध फोटो प्रति निर्णय दिनांक 21.6.2022 प्रकरण संख्या मुन्त/53/2021 उनवानी राजेन्द्र बनाम राजेश वगे. के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी ने पूर्व में भी इसी प्रकार आरोप लगाते हुये मुन्तकिली प्रार्थना पत्र अप्रार्थी0 के खिलाफ पेश किया गया था जो खारिज हो चुका है। इससे यह निर्वाद है कि प्रार्थी तहत न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को निर्णय नहीं होने देना चाहते हैं और अनर्गल बेबुनियाद आरोप लगाकर इस प्रकार की कार्यवाही कर प्रकरण लम्बा करने की नियत रखते हैं। अस्तु प्रार्थना पत्र मुन्तकिली खारिज किये जाने योग्य रहता है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र मुन्तकिली खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 24–01–2023 को सुनाया गया।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
भरतपुर